

Tender upload up to 02.00 pm 10-01-2018

Tender Opening 03.00 pm 10-01-2018

(Technical Bid)

Estimated Cost Rs.12.50 Lacs

Earnest Money Rs 25,000/-

Processing Fee Rs. 1000/-

Tender Form Fee Rs. 500/-



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड,

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2227267 फ़ैक्स 0141-5115766

Website : www.rajsico.gov.in **E-mail:** rajsico@rajasthan.gov.in

जयपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, जयपुर

दिनांक 26.01.2018 से 04.02.2018

ई-निविदा सूचना संख्या 23/2017-18

Technical Bid

1. विषय जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है। विद्युत एवं जनरेटर व्यवस्था मय डीजल ऑयल इत्यादि ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम मैसर्स :.....
व डाक का पता मय टेलीफोन नं. सहित डाक का पता :
टेलीफोन नं
मोबाइल नं
3. आयकर पेन नं.
4. जी0एस0टी0 नं.
5. निविदा सूचना संख्या.....जो दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है, तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलंगन पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं । तथा इनका पालन करने के लिये हम सहमत है ।
6. कार्य आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 5 दिवस अथवा दिनांक **24.01.2018 जो भी पहले हो** तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्यथा कमेटी द्वारा निर्धारित हर्जाने का जिम्मेदार रहूंगा।
7. निविदा प्रपत्र मूल्य/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस का विवरण :-

	डी.डी./बैंकर चैक सं.	दिनांक	बैंक
क. निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 500/- "दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि." के नाम जयपुर में देय	-----	-----	-----
खं. धरोहर राशि रु. 25,000/- "दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि." के नाम जयपुर में देय	-----	-----	-----
ग. प्रोसेसिंग फीस रु. 1000/- एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम जयपुर में देय	-----	-----	-----

8. निविदा दो कवर पद्धति पर है । तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निम्न प्रपत्रों के साथ डाले:-
- (i) धरोहर राशि डी0डी0/बैंकर चैक राशिरु. 25,000/- की छायाप्रति
 - (ii) अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य आदेशों की छाया प्रतियां जो कम से कम 5 लाख का हो, संलग्न करें ।
 - (iii) वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान जयपुर से प्राप्त लाइसेंस एवं विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति ।
 - (iv) बिक्रीकर/ सेवा कर/जीएसटी संबंधित पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र की प्रति ।
 - (v) उपलब्ध विद्युत उपकरणों/ सामान की प्रमाणित सूची ।
 - (iv) निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम **रूपये 15.00 लाख वार्षिक** का होना आवश्यक है। इस हेतु गत दो वित्तीय वर्ष में से किसी एक वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेन्स शीट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 - (vii) निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 500/-के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की छायाप्रति
 - (viii) प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 1000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की छायाप्रति
9. टेक्नीकल बिड में उपरोक्त बिन्दु संख्या 8 में उल्लेखित दस्तावेजों के अभाव में संवेदक की वित्तीय बिड्स नहीं खोली जायेगी तथा निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा निम्न तीन डी.डी./बैंकर चैक की छायाप्रतियाँ तकनीकी बिड के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है :-
1. धरोहर राशि रु. 25,000- का "दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. " के नाम जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक
 2. निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 500/- का "दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. " के नाम जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक
 3. प्रोसेसिंग फीस रु. 1000/- का एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक
11. उक्त समस्त मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक एक अलग बन्द लिफाफे में रख निविदा की अन्तिम तिथि/समय से पूर्व राजसिको जयपुर मुख्यालय में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
12. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र भरकर एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निर्धारित तिथि व समय तक बैव पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

“विद्युत व्यवस्था व डिजल जनरेटर सैट का कार्य”

“एच शिड्यूल” पार्ट बी

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	प्रस्तुत दर*
1.	उत्सव मैदान में विभिन्न ब्लॉक में बनी दूकानों के सामने दो मीटर की दूरी पर लकड़ी का पोल गाड़कर उसके उपर से सर्विस लाईन गुजार कर दूकानों के उपर छत से दो ट्यूब (कम्पलीट) लटकाकर लगाना एवम् मैन स्विच केबल वायरिंग सहित लगाकर इनका फुल टाइम संचालन करना।	1500 नग	
2.	उत्सव मैदान में विभिन्न ब्लॉक में बने विभिन्न हॉल के सामने दो मीटर की दूरी पर लकड़ी का पोल गाड़कर उसके उपर से सर्विस लाईन गुजार कर डोम व बाहर आवश्यकता अनुसार कम्पलीट ट्यूब लाईट, प्लग पोइन्ट व मेटेलिक लाईट 400 व 1000 वॉट की लगाकर फुल टाइम संचालन करना।	500 नग ट्यूब लाईट व 150 नग मेटेलिक लाईट	
3.	उत्सव मैदान में व बाहर छोटी लाइटों में लिखा हुआ बोर्ड बताये गये स्थान पर लगाकर सर्विस लाईन खींच कर फुल टाइम का संचालन करना। बोर्ड का नाप 6 फुट बाई 18 फुट का होना चाहिए।	1 नग	
4.	उत्सव मैदान में रोड़ लाईट व्यवस्था हेतु 400/500 व 1000 वाल्ट की मेटेलिक/हॉलीजन लाईट फिटिंग फिक्सर मय चॉक, वायरिंग व पॉल्स गाड़ कर व वायरिंग करके फुल टाइम संचालन करना। और सभी रोड़ लाईट के पोल पर मोबाईल चार्जिंग हेतु बोर्ड लगाना व संचालन करना।	आवश्यकतानुसार	
5.	उत्सव मैदान में लगे विद्युत भार लोड के आवश्यकता अनुसार साईलेन्ट डीजल जनरेटिंग सैट मय डिजल व ऑयल सहित लगाना तथा उसका ऑपरेटर से निर्देशानुसार फुल टाइम संचालन करना। समिति के अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशानुसार सम्मानीय व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान विद्युत सप्लाई के दौरान भी जनरेटर सैट को चालू रखना होगा।	आवश्यकतानुसार	
6.	उत्सव मैदान में विद्युत भार की क्षमता के अनुसार, विद्युत विभाग में कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करना एवं कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि जमा कराना। विद्युत उपभोग के अनुसार राशि वहन करना एवं विद्युत विभाग से समायोजन कर नो ड्यूज प्राप्त कर प्रस्तुत करना। मैदान के दोनो/तीनों तरफ से आवश्यकता अनुसार लोड प्राप्त कर कनेक्शन प्राप्त करना। आवश्यक क्षमता की इन्सलेटेड, पीवीसी सीटेड एल्युमिनियम/कॉपर कन्डेक्टर केवल उपलब्ध कराकर बिछाना व कनेक्शन कराना।	आवश्यकतानुसार	
7.	उत्सव मैदान में सम्पूर्ण विद्युत भार के अनुसार थ्री फेस चार वायर सिस्टम के अनुसार विद्युत पैनल बोर्ड, एंगल आयरन फ्रेम पर तैयार कर 7/16 व 7/18 पीवीसी इन्स्युलेटेड कॉपर वायर मय कलर सिकवेंस आर वाई बी सहित पैनल तैयार करना, कनेक्शन करना व कुल विद्युत भार को समान रूप से बाटना। जिसमें आई सी टी पी स्वीच 200 एम्पीयर, कॉपर/एल्युमीनियम कन्डेक्टर बस बार चार स्ट्रीप गुणा 450 एम एम मय क्षमता 200 एम्पीयर आयरन बाक्स कवर सहित, आई सी टी पी स्वीच 100/63 एम्पीयर, आई सी टी पी 32 एम्पीयर व आउट गॉइंग केबलो 3 फेस चार वायर या सिंगल फेस दो वायर सप्लाई हेतु किट केट प्युज/एम सी बी मय कलर बल्ब, होल्डर, आयरन बुडन बोर्ड सहित वायरिंग कर लगाना।	आवश्यकतानुसार	
8.	उत्सव मैदान में जी आई अर्थिंग मय जी आई वायर 1./12 एस डब्लु जी जी आई वायर को निर्देशानुसार लम्बाई का लगाना व अर्थिंग आई एस 3043 के अनुसार करनी।	आवश्यकतानुसार	
9.	उत्सव मैदान में लगे विद्युत पैनल बोर्ड पर रेजीडयूल करन्ट ऑपरेटेड अर्थ लिंकेज सकिट ब्रेकर 30 मिली एम्पीयर से 300 मीली एम्पीयर की सगणता की चार पॉल 63 एम्पीयर व चार पॉल 32 एम्पीयर की मय स्टील बॉक्स कवर सहित वायरिंग कर लगाना।	30 नग	
10.	विद्युत पैनल कक्ष में आग बुझाने का यन्त्र हाई कैमिकल पाउडर टाईप केपसिटी 5 केजी क्षमता का लगाना व आवश्यकता पडने पर अनुभवी ऑपरेटर द्वारा उसका संचालन करना।	10 नग	
11.	जोड़े जीएसटी की राशि		
12.	कुल राशि (मय जीएसटी)		

नोट:— 1. उक्त सभी कार्य हेतु एक मुश्त दर प्रस्तुत करनी होगी।

2. *प्रस्तुत दर में जीएसटी के अतिरिक्त सभी कार्य इत्यादि सम्मिलित होंगे। जीएसटी की राशि नियमानुसार अलग से देय होगी।



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड,

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2227267 फैक्स 0141-5115766

Website : www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

जयपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, जयपुर

दिनांक 26.01.2018 से 04.02.2018

कार्य का नाम – विद्युत एवं जनरेटर व्यवस्था मय डीजल आर्यल इत्यादि ।

- निविदादाता को निविदा दो अलग-अलग कवर में प्रस्तुत करनी होगी। टेक्नीकल कवर में निविदादाता निम्न दस्तावेज/सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा तथा फाईनेन्सियल बिड कवर में अपनी दर भर कर प्रस्तुत करेंगे ।
 - धरोहर राशि डी0डी0/बैंकर चैक राशिरु. 25,000/- की छायाप्रति
 - अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य आदेशों की छाया प्रतियां जो कम से कम 5 लाख का हो, सलंगन करें ।
 - वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान जयपुर से प्राप्त लाइसेंस एवं विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति ।
 - बिक्रीकर/ सेवा कर/जीएसटी संबंधित पंजियन एवं चुकता प्रमाण पत्र की प्रति ।
 - उपलब्ध विद्युत उपकरणों/ सामान की प्रमाणित सूची ।
 - निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम **रुपये 15.00 लाख वार्षिक** का होना आवश्यक है। इस हेतु गत दो वित्तीय वर्ष मे से किसी एक वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेन्स शीट अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 - निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 500/-के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की छायाप्रति
 - प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 1000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की छायाप्रति
- कार्य आदेश के तुरन्त पश्चात् विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन निविदादाता को स्वयं को करना होगा एवं सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर समय पर कनेक्शन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। निविदादाता को कार्य करने वाले तथा तत्पश्चात् उत्सव के दिनों में साज सामान के रख रखाव के लिये नियुक्त लाईसेंसधारी उत्तरदायी कर्मचारियों की सूची देनी होगी, और निरीक्षण के दौरान उनका उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । एक प्रशिक्षित एवं अनुभवी विद्युत अभियन्ता को रखना होगा, तथा विद्युत निरीक्षक से किये गये कार्य का निरीक्षण करवाकर आवश्यक शुल्क जमा करवाकर निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य नागरिक सुरक्षा, फायर ऑफिसर, नगर निगम एवं पुलिस द्वारा निर्देशित सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप करना होगा।
- निविदादाता को फाईनेन्सियल बिड में केवल इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में एक मुश्त दर भर कर डालना होगा। और इसमें किसी प्रकार की शर्त अंकित नहीं करेगा और न ही प्रस्तुत दरों में कौट-छौट करेगा। सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
- आदेश प्राप्ति के पश्चात् 3 दिन में 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी । धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जायेगा ।
- परिवहन, भराई, ढुलाई, लेबर चार्ज, बिछावत आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- किसी प्रकार की टूट फूट, कमी-बेसी एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तथा सामान की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मय अग्नि इत्यादि के लिए ठेकेदार स्वयं की होगी । इस हेतु उचित व्यवस्था/बीमा इत्यादि व्यय स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। अग्नि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति मे समिति कोई भी क्षति पूर्ती देने हेतु जिम्मेदार नहीं होगी ।
- सामान की तादाद आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है ।

8. सामान को कार्यक्रम के पूर्व /पश्चात्, हटाने लगाने एवं परिवहन इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होंगे ।
9. निगम न्यूनतम दर वाली सविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है व किसी भी निविदा या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार की जा सकती है ।
10. मेले की अवधि दो दिन तक बढ़ाये जाने पर अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी ।
11. सामान को उचित निर्देशों पर लगवाना तथा पूरे कार्यकाल तक चालू रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
13. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा । सक्षम समिति द्वारा मेले में लगी हुई सभी वस्तुओं का सत्यापन मेले की चालू अवधि में करवाने की जिम्मेवारी ठेकेदार स्वयं की होगी व मेले में लगे हुए माल का सत्यापन मेला शुरू होने के 4 दिवस के भीतर करवाना होगा । उपर वर्णित शेड्यूल के अलावा उत्सव स्थल पर ओर कोई भी कार्य कराने हेतु निगम/उत्सव आयोजन समिति स्वतन्त्र होगी । भुगतान नियमानुसार सभी करों की कटौती करने के उपरान्त चैक द्वारा किया जायेगा ।
14. कार्य का निष्पादन निगम द्वारा मनोनित अधिकारी/कमेटी के सुपरविजन में करना होगा एवं उनके निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक 24.01.2018 को सायं पाँच बजे तक पूर्ण करना होगा ।
15. कार्य समय पर व संतोषजनक नहीं होने पर निगम स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत सीमा तक पेनल्टी लगाने हेतु अधिकृत रहेगी ।
16. प्रस्तुत दरें जी0एस0टी0 के अतिरिक्त सभी करों व प्रभारों सहित होगी । जी0एस0टी0 अलग से देय होगी ।
17. निविदादाता को टेक्नीकल बिड के प्रपत्र के बिन्दु संख्या 8 (i) से (viii) तक के दस्तावेज टेक्नीकल बिड प्रपत्र के साथ संलग्न कर अपलोड करने होंगे । उसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
19. पूर्व में जिन निविदाकारों ने उत्सव में कार्य किया उनका आचरण/व्यवहार तथा मेलाधिकारियों के निर्देशों की पालना/अवहेलना भी निविदा स्वीकृति/ अस्वीकृत का महत्वपूर्ण कारक होगा ।
20. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा ।
21. निगम की स्वीकृति के अभाव में किये गये अतिरिक्त कार्य का कोई भुगतान देय नहीं होगा । अतिरिक्त कार्य का निगम से अलग आदेश प्राप्त होने पर ही करेंगे अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा ।
22. अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की वजह से उत्सव आयोजन स्थगित या निरस्त भी किया जा सकता है । जिसके लिये निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा जब भी उक्त उत्सव आयोजित किया जायेगा तब समस्त कार्य उक्त निविदा में स्वीकृत दरों पर ही करना होगा ।
23. कार्य आदेश प्राप्ति के दो दिवस के भीतर राशि रूपये रू. 1,000/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।
24. निम्न मामलों में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी:—
अ. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व अपनी दर वापस लेता या उसमें संशोधन करता है ।
ब. जब निविदा दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार का निष्पादन नहीं करता है तथा आदेश के बाद धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।
स. आदेश के बाद कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है ।
25. ठेकेदार अपनी सविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलेट) पर नहीं देगा ।
26. सा. वि. एवं ले. नि. भाग II के नियम 68 के प्रारूप सं. 16 में खुली निविदा के लिए शर्त क्र.सं. 1 से 42 तक लागू रहेगी जो कि मुझे मान्य है ।
27. विद्युत कार्य हेतु कार्यादेश ऑवटित करते ही निविदादाता को विद्युत विभाग में कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा समय पर कनेक्शन लेना अपने स्तर पर सुनिश्चित करना होगा । वायरिंग के लिये या तो नया तार काम में लिया जायेगा या उसमें लगे हुए हर कट पर ठीक तरह से इन्सुलेशन टेप लगाने के बाद तार काम में ली जावें ।

28. हर सर्किट, फिडर, मेन लाईन में न्यूटल की पहचान के लिये या तो एक ही रंग की तार काम में ली जायेगी अथवा मल्टीकोर केबल काम में ली जायेगी, जिसमें कलर कोड हो, भूमिगत लाईन के लिये चार अथवा साढ़े तीन कोर की पी.वी.सी इन्सुलेटेड पी.वी.सी. सीटेड केबल को ऐसे मार्ग से लगाया जावेगा जो मेला मैदान अथवा मार्गों के किनारे किनारे हो तथा केबल को कम से कम आधा फुट गहरी लगाना होगा ।
29. तारों के निराधार (अन सपोटेड) भाग में कोई जोड़ नहीं होगा जिसमें कि उसके खिंचाव के कारण अलग होने की सम्भावना न रहे । जहाँ भी जोड़ की आवश्यकता हो जोड़ केवल पोल पर ही किये जायेंगे । तारों के जोड़ तथा जंक्शन भली प्रकार टेप किये जायेंगे तथा उन पर इन्सुलेशन टेप अच्छी तरह लपेटी जायेगी ताकि शॉर्ट सर्किट तथा जोड़ों के गर्म होने का अंदेशा न रहे ।
30. दुकानों के बीच मार्गों, प्रदर्शनी पाण्डाल तथा रात्रि के समय आवश्यक लाईटों के लिये अलग अलग सक्रिट/फीडर लगाने होंगे तथा उन्हें अलग-अलग चालु अथवा बन्द करने तथा अनुसरण हेतु सही क्षमता वास्ते मेन स्विच तथा फयूजेज लगाने होंगे। संस्थापन में सभी फिटिंग फिक्सचर, स्विचेज व फयूज आदि मजबूती से लगाये जायेंगे ताकि उपयोग करने पर ढीलें न पड़े व गिरने न पावे । सीरीज बल्ब नये हो या उन पर ताजा रंग किया हुआ हो ।
31. प्रत्येक लाईन के मेन सयंत्र तथा सर्किट लाईन के पास सही क्षमता के स्विच गेयर (टी.पी. व डी. पी. स्विच) तथा फयूज व एम.सी.बी. लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक तीन फेज के सक्रिट, फीडर तथा मेन पर विद्युत भार तीनों फेज में समान रहे, इस प्रकार वितरण करना होगा । प्रत्येक पाँच स्टॉल के लिए एक फयूज लगाना होगा तथा उसके कनेक्शन वॉयर में कोई कट व जोईन्ट नहीं होगा ।
32. प्रत्येक लाईन के लिये विद्युत भार के अनुसार सही क्षमता का तार काम में लिया जावेगा । निम्न सारणी में प्रदर्शित क्षमता से अधिक विद्युत भार किसी भी तार पर नहीं डाला जावेगा । कोई भी सर्किट 10 लाईट से अधिक का नहीं होगा, तथा हर सक्रिट के लिये फयूज बली पर मजबूती से लगाना होगा । सक्रिट का भुगतान अलग से देय नहीं होगा ।
33. उत्सव मैदान में विद्युत शिकायतों का तुरन्त निवारण करने हेतु निविदादाता को इन्टरकोम सिस्टम, टेलिफोन मय वायरिंग सहित स्वागत कक्ष, विद्युत शिकायत कक्ष व मेन विद्युत पेनल बोर्ड कक्ष के मध्य लगाना होगा ।
34. निविदादाता को निर्देशित स्थानों पर अर्थिंग करवाकर रनिंग अर्थ वॉयर के साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा । सभी विद्युत लाईनों के साथ (भूमिगत अथवा उपरी) अर्थ वॉयर अवश्य चलाना होगा ।
35. उत्सव मैदान में लगे विद्युत भार लोड के अनुसार साइलेंट डीजल जनरेटर मय डीजल एवं ऑयल सहित लगाना एवं उसका प्रशिक्षित ऑपरेटर से संचालन करवाना होगा। उत्सव अवधि में यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत व्यवधान न हो ।
36. उपर्युक्त समस्त स्थानों पर उपयोग में लिए गए शब्द निगम का तात्पर्य " दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0" जिसका मुख्यालय उद्योग भवन, जयपुर में है, से है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
पता व टेलीफोन नं . सहित